

न्यायालय तहसीलदार लवाण जिला दौसा (राज.)

सरकार बनाम सुशीला देवी पत्नी राजेन्द्र बैरवा जाति बैरवा नि.बनियाना तहसील लवाण

मिसल न. 54/2023

निर्णय दिनांक-22.01.2024

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का बनियाना ने रिपोर्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत इस आशय की न्यायालय में प्रस्तुत कि की सुशीला देवी पत्नी राजेन्द्र बैरवा जाति बैरवा नि.बनियाना तहसील लवाण ने ग्राम बनियाना के आराजी खसरा नंबर 1294 किस्म गै.मु रास्ता (सिवायचक) कुल रकबा 0.14 है० में से रकबा 0.02 है० भूमि पर संवत् 2080 फसल वर्ष रबी में तारबंदी कर अतिक्रमण किया है । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । अतिक्रमी बाद तामील अनुपस्थित रहा तथा अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये । जिससे अतिक्रमी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है । जिससे राजकीय भूमि पर अतिचार करना सिद्ध होता है ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन एवं मनन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अतिक्रमी का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर कोई टाइटल अथवा अधिकार सिद्ध नहीं होता है, तथा वह एक अतिचारी की हैसियत रखती है । अतः उसे उक्त राजकीय भूमि पर से भौतिक रूप से बेदखल किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

अतः अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की उपधारा (1)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अतिक्रमण शुदा रकबे पर की गई तारबंदी से भौतिक रूप से बेदखल किया जाने व उस पर लगान 2.00 रु. का 50 गुना 100 रु. की शास्ति आरोपित की जाती है।

पत्रावली मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को भिजवाई जावे एवं शास्ति वसूली एवं बेदखली हेतु भू.अ.निरीक्षक बनियाना एवं पटवारी हल्का पटवार मण्डल बनियाना को लिखा जावे । निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 22.01.2024 को सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील लेख भण्डार हो ।



रक ले० सं० 4 वर्ष 23-24
की पृष्ठ सं. 28 पर 1.00 रु.
की मांग कायम की।

तहसील राजस्व लेखाकार
लवाण

(धर्म सिंह मीना)
तहसीलदार
लवाण जिला दौसा

लवाण जिला दौसा(राज.)